अनुबन्ध

(प्रत्येक संवासी द्वारा किया जाना अनिवार्य)

आज दिनांक ....को मनीष गोविल मैमोरियल ट्रस्ट, रजिस्टर्ड कार्यालय ए–1, किरपाल अपार्टमेण्ट्स, 44, आई.पी.एक्सटेंशन, पड़पड़गंज, दिल्ली–1 (ट्रस्ट) एवं श्री/ श्रीमती/कु• ....पुत्र/पत्नी/पुत्री...(संवासी) के मध्य निम्नलिखित अनुबन्ध करार पाया जो कि ट्रस्ट की ओर से श्री/ श्रीमती..अध्यक्ष/ सचिव/ न्यासी एंव संवासी की ओर से श्री/ श्रीमती/ कु•...पुत्र/ पत्नी/ पुत्री...निवासी.. ....के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

यह कि ट्रस्ट एक समाज सेवी संस्था है एवं ट्रस्ट ने कसेरू बक्सर, पंचवटी कॉलोनी, मवाना रोड, मेरठ में आभा मानव मन्दिर वरिष्ठ नागरिक सेवा सदन के नाम से ऐसे वृद्धजनों के लिए, जिनके पास रहने के लिए कोई अन्य स्थान नहीं है, जो अपने सगे सम्बंधियों द्वारा तिरस्कृत हैं तथा जिन्हें अन्य वृद्धजनों के साथ रहकर सम्मान के साथ अपना शेष जीवन व्यतीत करने की इच्छा है एवं ऐसे वृद्धजन जो अपने पारिवारिक दायित्वों से मुक्त हो चुके हैं तथा समाज सेवा करने के इच्छुक हैं, एक वरिष्ठ नागरिक सेवा सदन का निर्माण किया है।

यह अनुबन्ध निम्नवत् है :

1. यह कि संवासी को आभा मानव मन्दिर वरिष्ठ नागरिक सेवा सदन में कक्ष संख्या...............में पलंग सं. ....आवंटित किया गया है। संवासी अन्य संवासी के साथ कक्ष में तब तक रह सकेंगे जब तक ट्रस्ट के न्यासी उनको रखना चाहेंगे।
2. यह कि किसी कक्ष में पलंग/ कक्ष के आवंटन से संवासी का उस पलंग/ कक्ष को सदैव के लिए प्रयोग करने का कोई अधिकार/ हक नहीं होगा। संवासी द्वारा पलंग/ कक्ष का अधियोग एक अनुज्ञापत्र के समान प्रतिबंधाधीन होगा जिसको बिना कोई काररा बताए कभी भी समाप्त किया जा सकता है।
3. यह कि सेवा सदन में रहते हुए संवासी को कोई संक्रामक रोग हो जाने पर अन्य सेवा सदन वासियों को रोग हो जाने की सम्भावना के दृष्टिगत यदि नियासियों द्वारा ऐसे संवासी को सेवा सदन में न रहने देने का निरार्य लिया जाता है तो संवासी को सेवा सदन छोड़ने का निर्देश दिए जाने पर उसे तत्काल सेवा सदन छोड़ना होगा। इस सम्बंध में नियासियों का निर्णय अंतिम तथा बाध्यक होगा।
4. यह कि संवासी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी सामर्थ्यानुसार अपने सह संवासियों की उतनी मदद करेगा/ करेगी जितनी वह कर सकता है/सकती है जिससे कि सेवा सदन के सेवकों की कम से कम सहायता से सेवा सदन का अस्तित्व बना रहे क्योंकि कल्याणकारी एवं धर्मार्थ होने के कारण सेवा सदन चलाने के लिए बड़ी संख्या में सेवकों को रखना ट्रस्ट के हित में नहीं होगा।
5. यह कि सेवा सदन को एक कल्यारााकारी एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा चलाए जाने के काररा संवासी की बीमारी की स्थिति में विशिष्ट चिकित्सा उपलब्ध कराना सेवा सदन के लिए सम्भव नहीं होगा। यद्यपि ट्रस्ट द्वारा सेवा सदन में संवासियों के यथा सम्भव उपचार हेतु चिकित्सक की व्यवस्था की गई है तथापि संवासियों को सेवा सदन से विशिष्ट चिकित्सा की आशा न रखते हुए इसके लिए अपने परिवार अथवा स्वंय के साधनों पर निर्भर रहना होगा।
6. यह कि ट्रस्ट की अपेक्षानुसार संवासी एक परिवार की भांति सेवा सदन में रहते हुए प्रत्येक वस्तु/ कार्य/ विचार में परस्पर सहभागी होंगे।
7. यह कि ट्रस्ट संवासियों को अपनी सामर्थ्यानुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयुक्त संतुलित आहार उपलब्ध करायेगा। ट्रस्ट द्वारा प्रातः कालीन चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की चाय तथा रात्रि का भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। सेवा सदन में समिश भोजन परोसा/ खाया जाना निषिद्ध होगा।
8. यह कि वृद्धावस्था स्वयं एक व्याधि होने के काररा कोई भी संवासी कभी भी इतना बीमार हो सकता/ सकती है कि उसे विशिष्ट चिकित्सा की आवश्यकता पड़ जाय, जिसको कि सेवा सदन वहन करने की स्थिति में नहीं हो। ऐसी स्थिति में सेवा सदन प्रबन्धन बीमार संवासी को मेरठ के सरकारी अस्पताल/ मेडीकल कालेज में भर्ती करायेगा। संवासी इस तथ्य से विशेष रूप से सहमत है कि ट्रस्ट संवासी के अस्वस्थ होने पर उसकी विशिष्ट चिकित्सा का व्यय वहन करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि संवासी किसी विशिष्ट चिकित्सक को चिकित्सा हेतु बुलाना चाहता/ चाहती है तो वह अपने व्यय एवं दायित्व पर ऐसा कर सकता/ सकती है जिसके लिए टेलीफोन की सुविधा सेवा सदन द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।
9. यह कि सेवा सदन में संवास के दौरान संवासी के लिए धूम्रपान/ पान चबाना/ तम्बाकू खाना किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन करना पूर्रातः निषिद्ध होगा और यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो संवासी को तत्काल सेवा सदन छोड़ने के लिए कहा जा सकता है।
10. यह कि किसी भी संवासी को सेवा सदन के अन्दर अग्नेयास्त्र या हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। इसका उल्लंघन पाए जाने पर संवासी को तत्काल सेवा सदन छोड़ने के लिए कहा जा सकता है।
11. यह कि किसी प्रकार की अशांति/ आंदोलन अथवा ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर किन्हीं अन्य कारराों से ट्रस्ट सेवा सदन के संवासियों को भोजन उपलब्ध कराने में स्वयं को असमर्थ पाता है तो ऐसी स्थिति में संवासी को अपने भोजन की व्यवस्था

स्वयं करनी होगी या सेवा सदन छोड़कर अपने परिवार के सदस्यों अथवा अपने मित्रों इत्यादि के पास जाना होगा, यधपि ट्रस्ट नही चाहेगा कि कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो ।

12. यह कि संवासियों से अपेक्षा है कि वे बहुमूल्य वस्तुओं जैसे जेवरात इत्यादि को सेवा सदन में नहीं रखें।। यदि किसी संवासी की कोई बहुमूल्य वस्तु सेवा सदन से खो जाती है/चोरी हो जाती है तो उसके लिए सेवा सदन प्रबन्धन उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि अपनी वस्तुओं की अभिरक्षा का पूर्ण दायित्व संवासी का ही होगा। तथापि प्रत्येक संवासी को एक अलमारी उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें वह अपने व्यक्तिगत सामान को ताले के अन्दर रख सकता/सकती है।

13. यह कि प्रत्येक संवासी से अपेक्षा की जाती है कि खोने, टूटने अथवा क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए वह सेवा सदन की वस्तुओं को समुचित सावधानी के साथ प्रयोग करेगा/करेगी। यदि किसी संवासी अथवा उसके अभ्यागत की असावधानी अथवा दुरूपयोग के कारण सेवा सदन की कोई वस्तु खोती है, टूटती है अथवा क्षतिग्रस्त होती है तो उसकी भरपायी संवासी द्वारा की जायेगी।

14. यह कि संवासी किसी भी धर्म के मानने तथा उसके अनुसार प्रार्थना करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि वे कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कि उसके साथी संवासी को कोई कष्ट/ असुविधा हो या सेवा सदन की छवि धूमिल हो।

15. यह कि यदि कभी ट्रस्ट को यह अनुभव होता है कि किसी संवासी का सेवा सदन में बनाए रखना ट्रस्ट के हित में नहीं होगा तो ट्रस्ट उस संवासी को कक्ष एवं सेवा सदन छोड़ने के लिए निर्देशित कर सकता है। यदि संवासी निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसे बल पूर्वक सेवा सदन से बाहर निकाल दिया जायेगा क्योंकि किसी भी संवासी को सेवा सदन में, उसको सेवा सदन छोड़ने के निर्देश मिलने के बाद, रहने का अधिकार नहीं है तथा सेवा सदन छोड़ना उसके लिए बाध्यक है।

16. यह कि संवासी अपने एक या दो सम्बंधियों के टेलीफोन नम्बर सेवा सदन को उपलब्ध कराएगा/कराएगी जहाँ पर उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद सम्पर्क किया जा सके। सेवा सदन तदानुसार उनसे मृतक की अंत्येष्टि करने के लिए सम्पर्क करेगा तथा उनके द्वारा कोई कार्यवाही न किए जाने पर 8 घंटे बाद मृतक के धर्म के अनुसार उसकी अंत्येष्टि सेवा सदन द्वारा कर दी जायेगी।

17. यह कि यदि कोई संवासी चाहता / चाहती है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर को डाक्टरों द्वारा शोध कार्य हेतु किसी अस्पताल को सौंप दिया जाय या वह अपने शरीर का कोई अंग/ अवयव दान करना चाहता/ चाहती है तो उसे इसके लिए एक पृथक प्रार्थना पत्र सेवा सदन को देना होगा जिससे सेवा सदन उसकी इच्छानुसार कार्यवाही हेतु व्यवस्था कर सके।

18. यह कि किसी भी संवासी अथवा उसके किसी सम्बंधी या परिचित द्वारा ट्रस्ट को किसी रूप में दान दिये जाने के कारण उसे कोई विशेष सुविधा/ वरीयता नहीं दी जायेगी।

19. यह कि सेवा सदन की आवश्यकतानुसार किसी भी संवासी को उसी सेवा सदन में किसी अन्य कक्ष में अथवा किसी अन्य सहयोगी सेवा सदन में भेजा जा सकता है तथा यदि ऐसा किया जाता है तो संवासी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अन्यथा की स्थिति में वह सेवा सदन छोड़ सकता/ सकती है।

20. यह कि सेवा सदन के मनोंरजन कक्ष में एक टी.वी स्थापित किया गया है। टी.वी का प्रयोग रात्रि 10 बजे के उपरान्त वर्जित होगा क्योंकि टी.वी की आवाज से अन्य संवासियों की नींद में बाधा उत्पन्न हो सकती है । यदि किसी संवासी के पास उसका व्यक्तिगत ट्रांजिस्टर है तो कक्ष मे साथी संवासी के द्वारा आपत्ति करने पर ट्रांजिस्टर पर वह कार्यक्रम नहीं सुनेगा/ सुनेगी।

21. यह कि सेवा सदन में रहते हुए कोई भी संवासी ट्रस्ट की सहमति के बगैर किसी भी प्रकाशनालय/ समाचार पत्र को पत्र नहीं लिखेगा और न ही किसी पत्रकार को साक्षात्कार देगा।

22. यह कि सेवा सदन में प्रवेश के समय सेवा सदन प्रबन्धन के विवेक पर उपलब्ध आवासीय सुविधाओं में से उपलब्धता के आधार पर कोई भी सुविधा संवासी को आंवटित की जा सकती है जिसे संवासी द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

23. यह कि यदि कोई संवासी 30 दिन से अधिक के लिए अवकाश पर जाता / जाती है अथवा पूर्व स्वीकृत अवकाश की अवधि बढ़ा कर 30 दिन से अधिक करता/ करती है, तो उसको आवंटित पलंग/ कक्ष किसी अन्य जरूरतमंद व्यक्ति को आवंटित कर दिया जायेगा तथा उसके लौटने पर उपलब्धता के आधार पर कोई अन्य पलंग/ कक्ष उसको आवंटित किया जा सकता है।

24. यह कि जिन कमरों में रसोई घर हैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य कमरे में संवासी द्वारा भोजन नहीं पकाया जायेगा।

25. यह कि रक्तचाप, शुगर, दिल सम्बंधी समस्या, माइग्रेन आदि बीमारियो की लम्बे समय तक चलने वाली औषधियों का प्रबंध संवासी स्वयं अपने व्यय पर करेगा।

26. यह कि ट्रस्ट की ओर से कोई कार्यवाही करने का अधिकार ट्रस्ट के अध्यक्ष के पास है।

निम्नांकित गवाहों के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा उपरोक्त दिनॉक, माह एवं वर्ष में हस्ताक्षर किए गए।

गवाह :

कृते मनीष गोविल मैमोरियल ट्रस्ट

1.

(अध्यक्ष/ सचिव/ ट्रस्टी)

2.

संवासी